96

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक :- /07

R 329-III/07

1. रणजीतसिंह तनय श्री जगदीश सिंह
2. जगदीश सिंह तनय श्री बरजोरसिंह
3. रणवीरसिंह तनय श्री जगदीश सिंह
4. हरजीतसिंह तनय श्री जगदीश सिंह

सभी निवासीगण-ग्राम शाहपुर तहसील-त्यौथर,
जिला-रीवा (म.प्र.) **<u>--आवेदकगण</u>**

श्री ... द्वारा आज दि० 22-2-07 को प्रस्तुत।
22-2-07
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

विरुद्ध

1. उमेश कुमार शुक्ल तनय श्री गंगाराम शुक्ल, निवासी-ग्राम, तहसील-त्यौथर, जिला-रीवा
2. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा-पचामा, त्यौथर, जिला-रीवा (म.प्र.)

--अनावेदगण

न्यायालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक-75/निगरानी/06-07 में पारित आदेश दिनांक 19.02.07 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन-पत्र

22-2-07
K. K. Dwivedi

माननीय महोदय,

आवेदकगणों की ओर निम्नलिखित निवेदन है :-

1- यहकि, ग्राम बाबूपुर में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 89 रकवा 2.50 एकड़ भूमि की भूमि स्वामी आवेदकगणों की माँ कुसुम कुमारी

क्रमशः 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 329–तीन/2007 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–9–16	आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0एस0 सेंगर उपस्थित। प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 75/निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 19.02.07 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियां भूमि विकास बैंक द्वारा विधि प्रक्रिया के अनुसार नीलामी में प्राप्त की गई है तथा नीलामी पश्चात विक्रय पत्र की पुष्टि भी की जा चुकी है । अतः नीलामी विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार नामांतरण की कार्यवाही करते हुये दिनांक 28.08.04 को नामांतरण आदेश पारित किया गया है । तहसीलदार द्वारा की गई कार्यावाही में कोई विधिक त्रुटि न होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय उचित है । इसी स्तर पर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा गया है । 4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय	

आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश विधिनुकूल है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2007 स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य